

# समाहरणालय मधेपुरा

(आई० टी० शाखा)

पत्रांक 137 /

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी,  
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक 28/10/13।

विषय :- आर० टी० पी० एस० काउन्टर का साप्ताहिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,


आप सभी को सूचित करना है कि प्रत्येक सप्ताह अपने निर्धारित प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय में संचालित आर० टी० पी० एस० काउन्टर के निरीक्षण के दौरान Expired एवं अस्वीकृत मामलों में निम्न बिन्दुओं पर गहन जाँच कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है :-

1. सर्वप्रथम आर० टी० पी० एस० काउन्टर से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करें। तदोपरान्त यह देखें कि काउन्टर पर आवेदन किस तिथि को प्राप्त किया गया।
2. आर० टी० पी० एस० कर्मियों द्वारा किस तिथि को आवेदन कार्यालय (प्रखंड/अंचल) में हस्तगत कराया गया।
3. कार्यालय द्वारा आवेदन को किस तिथि को राजस्व कर्मचारी/पंचायत सचिव को जाँच प्रतिवेदन हेतु उपलब्ध कराया गया।
4. राजस्व कर्मचारी/पंचायत सचिव द्वारा किसी तिथि को जाँचोपरान्त आवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।
5. जाँचोपरान्त आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया।

निर्धारित समय सीमा के बाद भी अनिष्पादित (Expired) आवेदनों के मामले में सेवावार उपरोक्त बिन्दुओं पर जाँच कर तथा अस्वीकृत आवेदनों के मामले में बिना कोई Valid Reason के अस्वीकृत किए गये आवेदनों से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करते हुए दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों को चिन्हित कर अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन भेजें। साथ ही उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति अपीलीय प्राधिकार (अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्ता/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी) के भी संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके स्तर से अपील/दण्ड की कार्रवाई की जा सके।

साथ ही आप सभी को यह भी निदेश दिया जाता है कि आई० टी० शाखा के पत्रांक 133 दिनांक 21. 10. 2013 से उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।